

अध्याय 13

रियासतें, परमिटया के प्राप्तकर्ता के विवरण
लोक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत अनुदान

[धारा 4 (1) (बी) (X!!!)]

निम्नलिखित प्रारूप में प्रत्येक कार्यक्रम / योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वालों
के नाम और पते प्रदान करें।
संस्थागत लाभार्थी

विभाग में यदि कोई रियायत देने वाले कार्य, परमिट या अधिकार किसी को जारी किये हो तो उनसे लाभान्वितों का विवरण :- विभाग में ऐसे कोई कार्य संचालित नहीं है। अतः जानकारी निरंक है।